संख्या-30/2025/आई/857792/001-41-1002-001-191-2021-CN-1578801

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक 22 जनवरी, 2025**

विषय:- जनपद गोरखपुर के तहसील-कैम्पियरगंज के ग्राम/शहर-बलुआ में स्थित प्राचीन बलुआ शिव स्थल का पर्यटन विकास कार्य/जनपद गोरखपुर के तहसील-कैम्पियरगंज के ग्राम/शहर-सोनौरा खुर्द में स्थित भगवान ठाकुर जी मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य एवं जनपद गोरखपुर के तहसील-कैम्पियरगंज के ग्राम/शहर-भैंसला, पोस्ट रिगौली में स्थित गौरीशंकर मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य हेतु अवशेष/जी0एस0टी0 की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8862/6-1-1(1406)/2021-22 दिनांक 17.01.2025**,** पत्र संख्या-8869/6-1-1(1406)/2021-22 दिनांक 17.01.2025 एवं पत्र संख्या-8863/6-1-1(1406)/2021-22 दिनांक 17.01.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें**,** जिसके द्वारा प्रश्नगत योजनाओं हेतु अवशेष/जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2. जनपद गोरखपुर के तहसील-कैम्पियरगंज के ग्राम/शहर-बलुआ में स्थित प्राचीन बलुआ शिव स्थल का पर्यटन विकास कार्य/जनपद गोरखपुर के तहसील-कैम्पियरगंज के ग्राम/शहर-सोनौरा खुर्द में स्थित भगवान ठाकुर जी मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य एवं जनपद गोरखपुर के तहसील-कैम्पियरगंज के ग्राम/शहर-भैंसला, पोस्ट रिगौली में स्थित गौरीशंकर मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 (यू0पी0आर0एन0एन0) द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित की गयी लागत के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-182/2022/आई/150754/41-1002(001)/1191/2021-288(बजट)/2021 दिनांक 29.03.2022 एवं शासनादेश संख्या-367/2022/आई/181149 /2022/001-288-बजट-2021 दिनांक 22.06.2022 द्वारा प्रशासकीय एवं प्रथम व द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्रं0	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	जनपद गोरखपुर के तहसील-कैम्पियरगंज के ग्राम/शहर-बलुआ में स्थित प्राचीन बलुआ शिव स्थल	रू0 41.66 + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर)	रू0 5.00	रू0 30.00
2.	जनपद गोरखपुर के तहसील-कैम्पियरगंज के ग्राम/शहर-सोनौरा खुर्द में स्थित भगवान ठाकुर जी मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य	रू0 14.28 + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर)	रू0 3.00	रू0 9.00
3.	जनपद गोरखपुर के तहसील-कैम्पियरगंज के ग्राम/शहर-भैंसला, पोस्ट रिगौली में स्थित गौरीशंकर मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य	रू0 24.44 + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर)	रू0 4.00	रू0 15.00

3. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रश्नगत प्रायोजनाओं हेतु अवशेष/जी0एस0टी0 के रूप में निम्नांकित विवरणानुसार कॉलम-6 में अंकित धनराशि क्रमश: रू0 3.07 लाख, रू0 1.21 लाख एवं रू0 4.67 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 8.95 लाख (रूपये चार आठ लाख पंचानबे हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्रं0	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	अवशेष/जी0एस0टी0
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1.	जनपद गोरखपुर के तहसील-कैम्पियरगंज के ग्राम/शहर-बलुआ में स्थित प्राचीन बलुआ शिव स्थल	रू0 41.66 + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर)	रू0 5.00	रू0 30.00	रू0 3.07
2.	जनपद गोरखपुर के तहसील-कैम्पियरगंज के ग्राम/शहर-सोनौरा खुर्द में स्थित भगवान ठाकुर जी मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य	रू0 14.28 + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर)	रू0 3.00	रू0 9.00	रू0 1.21
3.	जनपद गोरखपुर के तहसील-कैम्पियरगंज के ग्राम/शहर-भैंसला, पोस्ट रिगौली में स्थित गौरीशंकर मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य	रू0 24.44 + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर)	रू0 4.00	रू0 15.00	रू0 4.67
				कुल योग	**रू0 8.95**

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 29.03.2022 एवं 22.06.2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य/विद्युत कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य/विद्युत कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चि□त किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में अवशेष/जी0एस0टी0 की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था, पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(12) परियोजनान्तर्गत बाट आउट आइटम्स पर पर्यटन अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2764/41-1-2024/सीएन-1864107/2024 दिनांक 07 नवम्बर, 2024 द्वारा गठित क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(13) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उप निदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,95,000 (रुपये आठ लाख पंचानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801043900 जनपद गोरखपुर में स्थित पर्यटनों स्थलों का विकास मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी गोरखपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन।
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 (यू0पी0आर0एन0एन0), लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- उप निदेशक, पर्यटन, गोरखपुर/आजमगढ़ मण्डल, गोरखपुर।
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (रा0यो0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in